# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

## पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 36 / 2022

बउनवान

1. हंसराज पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी भगवानपुरा
2. रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी भगवानपुरा
3. रामकरण पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी भगवानपुरा(बोहत) तह0 मांगरोल जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. धनपाल पुत्र गोपाल जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा (बोहत)
2. सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी भगवानपुरा (बोहत) तह0 मांगरोल जिला बारां

(रेस्पोंडेंट्स)

**अपील विरूद्ध निर्णय प्रकरण सं0 04 / 2021 बउनवान धनपाल बनाम हंसराज निर्णय दिनांक 19.05.2022 न्यायालय तहसीलदार मांगरोल अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0ए0**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 28.02.2023

अपीलांट द्वारा तहसीलदार मांगरोल के आदेश दिनांक 19.05.2022 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का कोई विवेचन नहीं किया न अपीलांटगण को अपनी जवाबदेही का अवसर दिया गया मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 की आदेशिका में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 08.04.2022 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 08.04.2022 को अप्रार्थीगण उपस्थित पीठासीन अधिकारी राज कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी 04.05.2022 नियत की गई जिसमें बाद में बहस शब्द पृथक से जोड़ा गया है तथा दिनांक 04.05.2022 को [illegible]ली पेश हुई प्रार्थी व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली अंतिम कार्यवाही हेतु रखकर तारीख पेशी दिनांक 19.05.2022 निर्धारित की तथा दिनांक 19.05.2022 [illegible] किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि अपीलांट हंसराज ने उसकी आराजी कम करने व नक्शे में परिवर्तन करने की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में प्रस्तुत की हुई है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलांट हंसराज की कम हुई आराजी बाबत कोई

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

तहकीकात नहीं की और पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट्स की जाति समान होने से धारा 183 बी प्रभावी नहीं होती है इसके लिये सक्षम न्यायालय में बेदखली का वाद किया जाना चाहिये था इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 04/2021 बउनवान धनपाल बनाम हंसराज में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट कम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 को प्राप्त हुई परंतु दिनांक 10.05.2022 की कोई आदेशिका पत्रावली पर नही है। अपीलांट हंसराज ने उसकी आराजी 15 एयर कम करने व नक्शे में परिवर्तन करने की दुरूस्ती की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में प्रस्तुत की हुई है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 04/2021 बउनवान धनपाल बनाम हंसराज में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश पारित फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि अपीलांट हंसराज द्वारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही दिनांक 16.06.2022 को पेश की है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 1905.2022 को ही हो गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.09.2021 को स्वंय उपस्थित हुआ है। अपीलांट को उक्त तिथि को जवाब पेश करना चाहिये था जो कि उसने नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उभयपक्षकारान की जाति समान (मीणा) होने से धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। भू अभिलख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की सिर्फ रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मनमानी रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांटगण द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा उनकी उपस्थिति में मौका नहीं देखा गया। इस प्रकरण पर धारा 183(बी) आर0 टी0 एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि अनुसूचित जनजाति की भूमि पर अनुसूचित जनजाति का कब्जा होना बताया गया है।

जमाबंदी संवत 2074–77 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम भगवानपुरा की विवादित आराजी खसरा नंबर 251/891 रकबा 0.32 है. व खसरा नंबर 96 रकबा 2.30 है. रेस्पोडेन्ट धनपाल के खातेदारी में दर्ज है। चूंकि उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण, जो कि उस कार्यवाही में अप्रार्थीगण हैं, के विद्वान अधिवक्ता समस्त सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई। अतः उनका यह आक्षेप कि उनको सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं मिला अस्वीकार है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम भगवानपुरा की खाता संख्या 105 खसरा नंबर 96 रकबा 2.30 है. तथा खाता संख्या 106 खसरा नंबर 94/866 रकबा 0.74 है. भूमि धनपाल पुत्र गोपाल जाति मीणा साकिन देह के नाम खाते दर्ज है। भूमि का मौका निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि आराजी खसरा नंबर 96 रकबा 2.30 है. में से रकबा 0.16 है. उत्तरी ओर हंसराज पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी भगवानपुरा एवं लगभग 0.20 है. भूमि पर पश्चिमी ओर रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी भगवानपुरा का कब्जा है। शेष भूमि पर स्वंय खातेदार धनपाल मीणा काबिज है। इसी प्रकार खसरा नंबर 94/866 रकबा 0.74 है. भूमि में उत्तरी पश्चिमी ओर रकबा 0.18 है. भूमि पर रामकरण पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी भगवानपुरा का कब्जा है। शेष भूमि पर मौके पर स्वंय खातेदार धनपाल मीणा काबिज है।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:57 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)